



2026:AHC:128877

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21408 सन् 2026

बलदेव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

|                          |   |                                      |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| आवेदक के अधिवक्ता        | : | दीवान सैफुल्लाह खान                  |
| विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता | : | शासकीय अधिवक्ता, सत्य धीर सिंह जादौन |

### न्यायालय संख्या - 71

#### माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- यह तत्काल जमानत आवेदन, आवेदक को वाद अपराध संख्या 52 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 125, 131, 333, 109, 324(4), 351(2) बी.एन.एस., थाना बरसाना, जनपद मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जीतू उर्फ जितेन्द्र और राजवीर सहित कुल आठ व्यक्तियों को नामजद किया गया था तथा नामजद अभियुक्तों को सामान्य भूमिका आरोपित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट आठ नामजद अभियुक्तों तथा 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान प्रथम सूचनाकर्ता के बयान में आवेदक का नाम प्रकाश में आया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि नामजद अभियुक्तों, अर्थात् जीतू उर्फ जितेन्द्र और राजवीर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17173 सन् 2026 तथा 17071 सन् 2026 में पारित क्रमशः दिनांक 11.6.2026 तथा 4.6.2026 के आदेशों द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आगे तर्क दिया कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के प्रस्तर संख्या 31 में समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है तथा वह दिनांक 24.4.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, अर्थात् जीतू उर्फ जितेन्द्र और राजवीर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, अर्थात् जीतू उर्फ जितेन्द्र और राजवीर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो अपास्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, और आवेदक दिनांक 24.4.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

8. उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक-**बलदेव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय को इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की दशा

*"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*

में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 229-ए/बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82/बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 174-ए/बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद प्रारंभ किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के अंतर्गत बयान अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय को ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां, साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

**24 जून, 2026**

**(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)**

ललित शुक्ला

*"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*